



केन्द्रीय विद्यालय सैन

विद्यालय संगठन

गाथन

18. शहीद जीत सिंह मार्ग,  
ह, नई दिल्ली 110 016  
18; इंस्टीट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग  
नई दिल्ली 110  
016 फ़ैक्स: 26514179 दूरभाष:  
2 6 8 5 8 5 7 0 वे ब सा इ ट :  
www.kvsangathan.nic.in

No.F.1-23(3)/2004-KVS(Admn.I) / 601

दिनांक: 20<sup>वां</sup> जनवरी, 2017

### कार्यालय ज्ञापन

विषय: सिविल/रक्षा क्षेत्र के तहत नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए निर्धारित मानदंडों में संशोधन।

106 में दिए गए अनुसार शासी बोर्ड, केन्द्रीय विद्यालय संगठन का अनुमोदन दिनांक 15.11.2016 को आयोजित बैठक को यहां निम्नानुसार दिए गए सीमा तक सिविल/रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए निर्धारित मौजूदा मानदंडों में संशोधन के लिए सूचित किया जाता है:

नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा, यदि वह

(क) के मंत्रालय या विभाग सरकार भारत का; (ख) राज्य सरकारें;  
(c) केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन

B. भूमि की आवश्यकता

प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा निशुल्क प्रदान की जाने वाली अपेक्षित सीमा निम्नानुसार है -

न हीं।	स्थान	भूमि की न्यूनतम सीमा (एकड़)	इच्छुक एकड़)	विस्तार क दे T श
1	महानगरीय शहर और हैदराबाद और बेंगलोर	2.5		5
2	अन्य सभी स्थान.	5		10

प्रायोजक प्राधिकरणों को वांछनीय मात्रा में भूमि उपलब्ध कराने के प्रयास करने चाहिए चूंकि सभी खेलों और अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं के सृजन के लिए भूमि की उपलब्धता तथा केन्द्रीय विद्यालय के

भावी विस्तार के मामले में उपर्युक्त न्यूनतम भूमि मानदण्ड में इन सभी सुविधाओं का पर्याप्त सृजन नहीं किया जा सकता है।

सिविल क्षेत्र के तहत राज्य प्रायोजित केवी के लिए, प्रस्ताव जिला कलेक्टरों के बजाय राज्य सरकार से आना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कुछ केंद्रीय विद्यालय फुटबॉल मैदान, 400 मीटर रनिंग ट्रैक आदि जैसी सभी खेल सुविधाओं का विकास करें, राज्य सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि उनके द्वारा भेजा गया कम से कम हर तीसरा प्रस्ताव भविष्य में भूमि मानदंडों की वांछनीय सीमा को पूरा करता है।

स्थायी स्कूल भवन के निर्माण के लिए प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल तक पानी और बिजली लाइनें/आपूर्ति और पहुंच मार्ग प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा उनकी लागत पर उपलब्ध कराया जाएगा।

-2-

के आसपास। केन्द्रीय विद्यालयों के लिए दान के आधार पर भूमि की स्वीकृति:-

केवीएस निम्नलिखित प्रावधानों के साथ दान के आधार पर भूमि स्वीकार कर सकता है:-

- दाता राज्य सरकार/जिला प्रशासन को भूमि दान कर सकता है जो बाद में स्थायी अनुदान के आधार पर केवीएस को भूमि हस्तांतरित करेगा।
- केवीएस केंद्रीय विद्यालय परिसर के अंदर उपयुक्त स्थान पर एक पट्टिका लगाएगा जिसमें स्मृति चिन्ह के रूप में दाता का नाम उत्कीर्ण होगा।

D. अस्थायी आवास की आवश्यकता:

प्रायोजक प्राधिकरण कक्षाओं को चलाने के लिए उपयुक्त और पर्याप्त किराया मुक्त अस्थायी आवास प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। अधिमानतः, प्रायोजक प्राधिकरण लगभग 7m x 7m के आकार के 15 कमरे प्रदान कर सकते हैं, जो प्रति अनुभाग कम से कम 40 छात्रों को समायोजित कर सकते हैं। यह आवास शुरु में नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने और प्रत्येक एकल खंड के साथ कक्षा I से V शुरु करने के लिए और भी प्रधानाचार्य कक्ष, स्टाफ कक्ष, पुस्तकालय कक्ष, विद्यालय कार्यालय और विद्यालय के अन्य विविध गतिविधियों के लिए आवास के प्रयोजन के लिए और अगले 3-4 वर्षों के लिए परिणामी विकास के लिए आवश्यक है।

प्रायोजक प्राधिकारी प्रतिवर्ष उनके द्वारा प्रदान किए गए अस्थायी भवन का सुरक्षा प्रमाण पत्र भी प्रदान करेगा।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा निमत स्थायी स्कूल भवन में केन्द्रीय विद्यालय का स्थानांतरण होने तक प्रायोजक प्राधिकरण अपने स्वयं के खर्च पर अस्थायी भवन की मरम्मत/अनुरक्षण करेगा।

शासी बोर्ड केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा पहले से ही व्यवहार्य और विधिवत रूप से अनुमोदित सभी प्रस्तावों में संबंधित प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा पहले से दी गई भूमि सीमा में भूमि संबंधी मानदंडों के इस संशोधन को ध्यान में रखते हुए परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जांच की विभिन्न अवस्थाओं वाले प्रस्तावों सहित नए प्रस्तावों की इसके बाद संशोधित मानदण्डों के संदर्भ में जांच की जाएगी।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शासी मंडल द्वारा अनुमोदित संशोधनों को शामिल करने के बाद संशोधित फार्मेट (अनुबंध-I, II और III) का एक सेटअप (ibid) की बैठकों को अलग से परिचालित किया जा रहा है।

इसे सचिव, शिक्षा सचिव, सभी जिला कलेक्टरों को और उपायुक्तों, केवीएस क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा उनके प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कार्य कर रहे सभी केन्द्रीय विद्यालयों को परिचालित किया जाए और नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने के प्रस्तावों की जांच की जाए और इन संशोधित मानदंडों के अनुसार प्रस्तुत किया जाए। राज्य सरकारें केवीएस के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती हैं।



(जी. के. श्रीवास्तव)  
अपर आयुक्त (प्रशासन)

वितरण:-

1. सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के शिक्षा सचिव।
2. जानकारी के लिए उप सचिव (यूटी), एमएचआरडी, नई दिल्ली।
3. आयुक्त, केवीएस के पी.एस.
4. अपर आयुक्त (प्रशासन/एकेड) के निजी सचिव
5. उपायुक्त, केवीएस, सभी क्षेत्रीय कार्यालय।
6. निदेशक, सभी ZIETs, केवीएस
7. सभी अधिकारी/अनुभाग, केवीएस (मुख्यालय)
8. प्रधानाचार्य, केवी, मॉस्को, काठमांडू और तेहरान
9. अध्यक्ष/महासचिव ने कर्मचारी संघों को मान्यता दी
10. उपायुक्त (ईडीपी) केवीएस वेबसाइट पर ओ.एम.